संख्या 2703 /लो0नि-1/03-19(स0)/2003

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 30 दिसम्बर,2003

विषय:- बूढा केदार-अयांरखाल हल्का वाहन मार्ग(सेतु सहित) के किमी0-1व2 में पडने वाले ग्राम रगस्या के भवनों के सुरक्षात्मक कार्यों के आगणन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-1114/95 यात्रा-उत्तरांचल/2003 दिनांक 26-3-2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत बूढाकेदार-अयांरखाल हल्का वाहन मार्ग के किमी0 1 व 2 में पडने वाले ग्राम रगस्या के भवनों के सुरक्षात्मक कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 82.70 लाख के परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पाई गई धनराशि रू0 79.61 लाख (उन्नासी लाख इकसठ हजार मात्र) के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में रूपये 79.61 लाख (रू0 उन्नासी लाख इकसठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि आगणन में उप जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्र दिनांक 03-06-1999 द्वारा जिलाधिकारी टिहरी गढवाल को सम्बोधित पत्र में गठित कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय एवं किलोमीटर वार दर्शायी गई दीवारों को निर्माण किया जाय,उससे अधिक की दीवारों के निर्माण की स्वीकृति शासन से अनुमति के उपरान्त ही ली जाय तथा दीवारों की सम्पूर्ण नींव की जांच सहायक अभियन्ता द्वारा की जाय, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सहायक अभियन्ता हो होगा ।

कार्य कराने से पूर्व स्थल का संयुक्त निरीक्षण अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जाय एवं भू-वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित दीवारों का सत्यापन कर कार्य कराने की अनुमति प्रदान करें । सीमेन्ट के सभी कार्य सहायक अभियन्ता अपने समक्ष करायेगें ,क्वालिटी का पूर्ण उत्तरदायित्व सहायक अभियन्ता का होगा ।

कार्य कराने से पूर्व विस्तृत मानचित्र/विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, तथा मार्ग के प्लान पर दीवारों को इंगित करते हुये अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

समस्त कार्यों की स्वीकृति विशिष्टियों/स्वीकृत ड्राइंग के आधार पर किया जाय एवं कार्य को समयबद्ध किया जाय ।

आगणन में ।। किमी० पत्थर ढुलान खच्चरों से किया गया है स्थल पर इसकी पुष्टि अधीक्षण अभियन्ता स्वंय करें तथा क्वायरी से संतुष्ट होने पर कार्य की अनुमति दें ।

व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी० पी०एम० एण्ड डी० अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसमें यह स्वीकृत किया जा रहा है । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।

स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31-3-2004 तक करने के उपरान्त कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

उक्त व्यय वालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक-5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडके-आयोजनागत-800- अन्य व्यय-03-राज्य सैक्टर-02-नया निर्माण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अ०शा० संख्या- 2259/वि०अनु०-3/03 दिनाँक 24-12-2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)
उप सचिव ।

संख्या 2703 (1)/लो०नि-1/03, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल इलाहाबाद/देहरादून ।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी ।
3. जिलाधिकारी, पौडी /कोषाधिकारी, पौडी ।
4. प्रभारी मुख्य अभियन्ता (गढवाल क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, पौडी ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, 27 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, टिहरी ।
6. निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी उत्तरांचल शासन ।

7. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8. श्री एल0एम0 पन्त,अपर सचिव,वित्त बजट,उत्तरांचल शासन ।
9. लोक निर्माण अनुभाग-2,उत्तरांचल शासन ।
10. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव ।